न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी:– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2021

बउनवान

मूलचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति मीणा निवासी छत्रपुरा तहसील–मांगरोल जिला बारां, राज. **(निगराकार)**

बनाम

1. हेमराज मीणा आयु 58 वर्ष पुत्र श्री पूरणमल जाति मीणा नि.छत्रपुरा तहसील–मांगरोल जिला बारां, राज.
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छत्रपुरा तहसील–मांगरोल जिला बारां **(गैरनिगराकार)**

रिवीजन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री असलम भारती अभिभाषक **(गैर निग. कम 1)**

निर्णय दिनांक 23.05.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम छत्रपुरा पूर्व में ग्राम पंचायत रायथल में लगता था। पंचायतों का पुर्नगठन होने के पश्चात छत्रपुरा पृथक से पंचायत बना दी गई प्रकरण ग्राम छत्रपुरा का होने से ग्राम पंचायत छत्रपुरा को पक्षकार बनाया जाकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। निगराकार को दिनांक 29.06.2017 को ग्राम छत्रपुरा में बने हुए आवासीय कच्चे मकान का पट्टा संख्या 751 जारी किया गया था जिसका पैमाईशी क्षेत्रफल उत्तर 55 फुट, दक्षिण 55 फुट, पूर्व 42 फुटव पश्चिम 42 फुट कुल क्षेत्रफल 2310 वर्गफुट के क्षेत्रफल में बना हुआ था तथा इस मकान के पीछे 8 फुट की गली मकान की सीमा से लगंवा होने के कारण इस क्षेत्रफल में ही शामिल है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व गली व खाली जगह, पश्चिम आम रास्ता, उत्तर आम रास्ता, दक्षिण भंवरलाल मीणा का मकान, हेमराज मीणा का मकान। दक्षिण दिशा की ओर जो गली व खाल जगह स्थित है वह प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व की है तथा इस [illegible] दक्षिणी ओर अप्रार्थी हेमराज का मकान स्थित है। अप्रार्थी को भी उसके मकान का पट्टा संख्या 766 दिनांक 29.06.2017 को जारी किया गया है, जिसमें [illegible] कर 54 फुट किया गया है, पूर्व से पश्चिम 50 फुट जिसे काट कर 50 फुट किया गया है तथा क[illegible] किसी के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी हेमराज को जारी किये गये पट्टे में वर्णित [illegible]सीमाएं पूर्व आम रास्ता, पश्चिम नरेश मीणा का मकान, उत्तर मकान भंवरलाल मीणा, दक्षिण मकान घांसीलाल। उक्त चतुर्थ सीमाएं मौका स्थिति के अनुसार सही नही है तथा अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है वह रायथल शिविर में बनाया गया है, उसकी कोई पत्रावली नहीं बनाई गई और ना ही मौके पर जाकर नाप लिया गया है, मात्र अप्रार्थी के कहे अनुसार पट्टा जारी कर दिया गया है, जो कि मौजूदा नियमों के विपरीत होने से उक्त पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:21 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी हेमराज के द्वारा अपने कच्चे मकान को गिराकर पुनः पक्का बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी ग्राम पंचायत छत्रपुरा से कोई स्वीकृति नही ली गई है तथा अप्रार्थी अपने मकान के उत्तरी ओर जो 8 फुट की खाली गली थी वह प्रार्थी के कच्चे मकान की मरम्मत करने में व कवेलू की ओलाती का पानी उक्त गली में गिरता था। उक्त गली प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में काम आती थी, वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अपनी सीमा से अधिक स्थान पर मकान निर्माण कर लिया है, तथा अप्रार्थी के मकान से उत्तरी ओर 3 फुट की रौंस निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उक्त रौंस निकलने से अप्रार्थी के मकान का सारा पानी प्रार्थी के कच्चे मकान की दीवार पर आकर गिरेगा जिससे मकान गिर सकता है। उक्त गली प्रार्थी के पट्टा शुदा मकान का भाग है, जिसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार सिर्फ प्रार्थी का ही है, अप्रार्थी को उक्त सीमा में निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अप्रार्थी को जारी किये गये पट्टा संख्या 766 ग्राम छत्रपुरा ग्राम पंचायत छत्रपुरा का रिकार्ड तलब किया जाकर बाद जांच उक्त पट्टे को निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड व गैरनिगराकारान को तलब किया गया। गैर निगराकार क्रम–2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम–1 अनुपस्थित रहे। अतः हमने एकपक्षीय बहस निगराकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

बहस के दौरान निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पचांयत द्वारा हेमराज मीणा को अवैध पट्टा जारी किया गया है, विवादित पट्टा पर नाप में कांट छांट कर रखी है, कटिंग पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है वह रायथल शिविर में बनाया गया है, उसकी कोई पत्रावली नहीं बनाई गई और ना ही मौके पर जाकर नाप लिया गया है, मात्र अप्रार्थी के कहे अनुसार पट्टा जारी कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाहने पर जवाब में अंकित किया है कि उक्त पट्टा शिविर रायथल में जारी किया गया है जिसकी पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वैधानिक प्रकिया की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर गैर निगराकार को जारी पट्टा संख्या 766 दिनांक 29.06.2017 निरस्त फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि गैर निगराकार को पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। पट्टे के नाप में कटिंग किये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि पट्टा [illegible] जारी किया गया है। 8 फुट गली पर नाजायज निर्माण करने तथा अनाधिकृत रूप से रौंस निकालने से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा गलत नहीं माना जा [illegible] कार्यवाही करने हेतु निगराकार स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:21 IST
Reason: SelfAttested

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)